न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 02/2024
जी.सी.एम.एस नं. 2024/67

प्रार्थी :– राजस्थान राज्य जरिये, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय बांसवाड़ा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री नटवरलाल कलाल पुत्र श्री छगनलाल कलाल निवासी पिपली चौक, तहसील सज्जनगढ, जिला बांसवाडा

उपस्थित

श्री धर्मेन्द्र रोत – विभागीय पैरोकार
श्री हरिविष्णु पुरोहित –अभिभाषक, अप्रार्थी

निर्णय

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा, 6 ए (1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 सपठित लिक्युफाईड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर 2000

दिनांक :– 20–11–2024

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला रसद अधिकारी बांसवाडा, संभागीय आयुक्त बांसवाडा के निर्देश पर अवैद्य गैस सिलेण्डर से भरे सील किये गोदाम की जांच श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धर्मेन्द्र रोत, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा करने पर मौके पर पीपली चौक स्थित जोगमाया गैस एप्लाईन्स के गोदाम का ताला लगा पाया। गोदाम की चाबी उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ से प्राप्त की गई। गोदाम को खोलकर जांच करने पर एच.पी के 7 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 5 भरे गैस सिलेण्डर, एच. पी के 7 खाली एवं भारत गैस के 3 खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 14.2 किग्रा के पाये गये। कुल 22 गैस सिलेण्डर गोदाम में पाये गये। मौके पर उपस्थित श्री नटवरलाल कलाल द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा गैस एप्यांस एवं डिस्पोजल का कार्य किया जाता है। मौके पर भण्डारित सिलेण्डरो से सम्बन्धित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाने से उक्त कृत्य लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन आर्डर 2000 के खण्ड 3–1(सी) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन होने से मौके पर सिलेण्डरो को जब्त किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार है –

क्र. सं	सिलेण्डर एस.आर क्रमांक	ऑयल कंपनी सील/अनसील	सिलेण्डर पर एलपीजी का उपदर्शित मानक भार/क्षमता (किग्रा. में)	खाली सिलेण्डर का उपदर्शित मानक भार/क्षमता (किग्रा. में)	भौतिक सत्यापन पर सिलेण्डर का भार मय एलपीजी कि.ग्रा. में	शुद्ध गैस का भार किग्रा में
1	07936	BPCL सील	14.2	15.7	29.9	14.2
2	28055 S	BPCL सील	14.2	16.0	30.2	14.2
3	267764 S	BPCL सील	14.2	15.9	30.0	14.1
4	24725 S	BPCL सील	14.2	15.2	29.4	14.2
5	539699 S	BPCL सील	14.2	15.5	29.8	14.3
6	330	HPCL सील	14.2	16.2	30.3	14.1
7	319291	HPCL सील	14.2	15.4	29.5	14.1
8	901591 T	HPCL सील	14.2	15.6	29.7	14.1
9	937648 T	HPCL सील	14.2	15.9	30.1	14.2
10	403258 P	HPCL सील	14.2	15.5	29.0	14.2
11	187066 S	HPCL सील	14.2	15.7	28.6	12.9
12	856475 S	HPCL सील	14.2	15.6	30.1	14.5
13	981643 S	BPCL अनसील	14.2	15.6	15.6	0
14	337268 S	BPCL अनसील	14.2	15.7	15.7	0
15	11093 P	BPCL अनसील	14.2	15.6	15.6	0
16	393485 S	HPCL अनसील	14.2	15.9	15.9	0
17	971489 S	HPCL अनसील	14.2	15.6	15.6	0
18	51882	HPCL अनसील	14.2	16.2	16.2	0
19	122884 T	HPCL अनसील	14.2	15.5	15.5	0
20	26981	HPCL अनसील	14.2	17.0	17.0	0
21	991881 P	HPCL अनसील	14.2	15.6	15.6	0
22	349752 S	HPCL अनसील	14.2	15.6	15.6	0
Total			312.4	346.5	514.9	169.1

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:36:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जब्त सिलेण्डरो को श्री कैलाश चन्द्र सकवाल पुत्र श्री अमर सिंह सकवाल निवासी टाण्डा रतना डिलीवरी मेन जोगमाया एच.पी गैस सज्जनगढ को सुपूर्द किया गया। मौके पर पर्चा मौका व फर्द अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा 2 साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 प्रस्तुत कर मौके से जप्त एच.पी के 7 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 5 भरे गैस सिलेण्डर, एच.पी के 7 खाली एवं भारत गैस के 3 खाली गैस सिलेण्डर कुल 22 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 09.10.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री हरिविष्णु पुरोहित अधिवक्ता, श्री कौशिक आमेटा अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र प्रस्तुत हुआ। दिनांक 29.10.2024 को अप्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने जवाब पेश किया। प्रस्तुत जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया गया कि अप्रार्थी के विरुद्ध जरिये प्रवर्तन निरीक्षक जिला रसद कार्यालय बांसवाडा में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् कार्यवाही की गई जो निराधार है। उक्त कार्यवाही में अप्रार्थी का कोई संबंध नही है। जांच अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई उस समय गौदाम पर कोई मौजुद नही था। उसके बावजुद अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में लिप्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में नटवरलाल कलाल के निवास संबंधित या गौदाम होने से संबंधित मालिक हक बाबत् दस्तावेज अनुसंधान में नही आये है न कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिया गया है। जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा माल को राजसात करने का आदेश फरमावे।

दिनांक 20.11.2024 को उभय पक्षकारान् की ओर से प्रस्तुत बहस सुनी गई। विभागीय पैरोकार ने प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दौहराते हुए कथन किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 02.09.2024 को उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ, जिला रसद अधिकारी बांसवाडा, संभागीय आयुक्त बांसवाडा के निर्देश पर अवैद्य गैस सिलेण्डर से भरे सील किये गोदाम की जांच श्री सुनिल कुमार मीणा, प्रवर्तन निरीक्षक, श्री धर्मेन्द्र रोत, प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय बांसवाडा द्वारा करने पर मौके पर पीपली चौक स्थित जोगमाया गैस एप्लाईन्स के गोदाम का ताला लगा पाया। गोदाम की चाबी उपखण्ड कार्यालय कुशलगढ से प्राप्त की गई। गोदाम को खोलकर जांच करने पर एच.पी के 7 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 5 भरे गैस सिलेण्डर, एच.पी के 7 खाली एवं भारत गैस के 3 खाली गैस सिलेण्डर जिनकी गैस भण्डारण क्षमता 14.2 किग्रा के पाये गये। कुल 22 गैस सिलेण्डर गोदाम में पाये गये। मौके पर उपस्थित श्री नटवरलाल कलाल द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा गैस एप्यांस एवं डिस्पोजल का कार्य किया जाता है। मौके पर भण्डारित सिलेण्डरो से सम्बन्धित कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नही किया जाने से उक्त कृत्य लिक्विफाईड पैट्रोलियम गैस रेगुलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्युशन आर्डर 2000 के खण्ड 3–1(सी) का उल्लंघन है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। विस्फोटक अधिनियम का उल्लंघन होने से मौके पर सिलेण्डरो को जब्त किया गया। जब्त सिलेण्डरो को श्री कैलाश चन्द्र सकवाल पुत्र श्री अमर सिंह सकवाल निवासी टाण्डा रतना डिलीवरी मेन जोगमाया एच.पी गैस सज्जनगढ को सुपूर्द किया गया। मौके पर पर्चा मौका व फर्द अभिग्रहण सुपुर्दगीनामा 2 साक्षियों के समक्ष तैयार किया गया। मौका पर्चा एवं फर्द अभिग्रहण व सुपुर्दगीनामा पर मौके पर मौजुद अप्रार्थी श्री नटवरलाल कलाल के हस्ताक्षर है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 तथा लिक्यूफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन आफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर 2000 स्वीकार कर मौके से जप्त एच.पी के 7 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 5 भरे गैस सिलेण्डर, एच.पी के 7 खाली एवं भारत गैस के 3 खाली गैस सिलेण्डर कुल 22 गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी के अधिवक्ता ने जवाब में उल्लेखित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि उक्त कार्यवाही में अप्रार्थी का कोई संबंध नही है। जांच अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Indrajeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

की गई उस समय गौदाम पर कोई मौजुद नही था। उसके बावजुद अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में लिप्त कर दिया गया है। उक्त प्रकरण में नटवरलाल कलाल के निवास संबंधित या गौदाम होने से संबंधित मालिक हक बाबत् दस्तावेज अनुसंधान में नही आये है न कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिया गया है। जब्तशुदा माल अप्रार्थी का नही है न ही अप्रार्थी के कब्जे से पाया गया है। जब्तशुदा माल को राजसात करने का आदेश फरमावे।

हमने उभयपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली मे उपलब्ध अभिलेखों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों एवं विभागीय प्रतिनिधि द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत तथ्यों के प्रकाश में अप्रार्थी द्वारा अवैध रूप से गैस सिलेण्डरों का भण्डार किया जाना प्रतीत होता है। अतः उक्त जब्त शुदा एच.पी के 7 भरे गैस सिलेण्डर, भारत गैस के 5 भरे गैस सिलेण्डर, एच.पी के 7 खाली एवं भारत गैस के 3 खाली गैस सिलेण्डर कुल 22 गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 20–11–2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.इंद्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.01.23 12:56:21 IST
Reason: SelfAttested